पत्रांक– II/M[1]–160/2009– 1548

(1A7)

बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

प्रेषक,

एन० विजयलक्ष्मी
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 30/6/09

विषयः– विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–ज०शि०को० (मु० स०)–04/2009–545–वि०या० दिनांक–06.05.09 द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में कहना है कि इस संबंध में जिला अवर निबंधक, लखीसराय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि अवर निबंधक कार्यालय, हलसी परिसर में शेड एवं शौचालय निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा D.D.C., लखीसराय को प्राक्कलित राशि उपलब्ध कराने हेतु संचिका भेजी गयी थी । उक्त प्राक्कलन में विद्युत एवं पानी की व्यवस्था का समावेश करने हेतु जिला अवर निबंधक, लखीसराय को निर्देशित किया गया। संशोधित प्राक्कलन तैयार करने हेतु प्रभारी अवर निबंधक–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मूल प्राक्कलन भेजा जा रहा है। जिला अवर निबंधक, लखीसराय ने संशोधित प्राक्कलन प्राप्त होने एवं प्राक्कलित राशि उपलब्ध हो जाने पर अवर निबंधन कार्यालय, हलसी परिसर में विद्युत एवं पानी की व्यवस्था सहित शेड एवं शौचालय निर्माण के लिए आश्वस्त किया है।

उक्त निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा किये जाने हेतु विभाग के स्तर से लगातार सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

प्राप्त आवेदन पर आवेदक का नाम तथा स्पष्ट पता अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदन बेनामी है। अतः आवेदक को कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाना संभव नहीं है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

30/6/09

(एन० विजयलक्ष्मी)
निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

संचित करें।

03/7/09